भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4094

जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है

आन्ध्र प्रदेश में सड़कें

4094. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में सड़क विकास परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इनके लिए कितना बजट आवंटन हुआ है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेषकर राजमुन्दरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में उक्त सड़क परियोजनाओं के कारण संपर्क व्यवस्था में आए सुधार और आर्थिक विकास के संबंध में आंकड़े क्या हैं; और

(घ) नवनिर्मित सड़कों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोगों के सुव्यवस्थित विस्थापन अथवा भूमि संबंधी प्रक्रियाओं के लिए मुआवजे हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। विगत पांच वर्षों, 2019-20 से 2023-24 तक के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को एनएच के विकास और रखरखाव के लिए 35,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। विगत पांच वर्षों में, राजमुंदरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 65 किमी सहित आंध्र प्रदेश राज्य में 2682 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में 1774 किलोमीटर राज्य सड़कों को एनएच के रूप में घोषित किया गया है। एनएच के विकास से राज्य भर में वस्तुओं और यात्रियों की तीव्र और सुरक्षित आवाजाही में सहूलियत हुई है, जिससे सतत और समावेशी विकास के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

(घ) सभी सड़क निर्माण कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशा-निर्देशों, मैनुअल, कार्य विधि तथा सड़क और पुल निर्माण के विनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। निर्माण की वांछित गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए, ईपीसी अनुबंधों में प्राधिकरण के इंजीनियर द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों की 100% जाँच,

निष्पादन एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा नमूना आधार पर गुणवत्ता जाँच, गुणवत्ता के संबंध में अनुबंध/रियायत समझौते के प्रावधानों का सख्त कार्यान्वयन, विफल/दोषपूर्ण कार्यों के लिए संविदाकारों और परामर्शदाताओं को दंडित करना आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि, जिसमें संरचनाएं और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं, के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अनुसार भूमि मालिकों को मुआवजा दिया जाता है।

*****